विशेष आर्थिक क्षेत्र स्थापित करने के प्रस्तावों पर विचार करने के लिए 13 जुलाई, 2010 को आयोजित एसईजेड के लिए अनुमोदन बोर्ड की 41वीं बैठक का कार्यवृत्त

अधिसूचित / अनुमोदित एसईजेड के संबंध में विशेष आर्थिक क्षेत्र (एसईजेड) स्थापित करने के प्रस्तावों तथा विविध अनुरोधों पर विचार करने के लिए विशेष आर्थिक क्षेत्र (एसईजेड) के लिए अनुमोदन बोर्ड (बीओए) की इकतालीसवीं (41वीं) बैठक डॉ. राहुल खुल्लर, सचिव, वाणिज्य विभाग की अध्यक्षता में 13 जुलाई, 2010 को कमरा नंबर 47, उद्योग भवन, नई दिल्ली में हुई। प्रतिभागियों की सूची संलग्न है (अनुबंध 1)।

2. अनुमोदन बोर्ड के सदस्यों को संबोधित करते हुए अध्यक्ष ने सूचित किया कि एसईजेड स्थापित करने के लिए अब तक 575 औपचारिक अनुमोदन प्रदान किए गए हैं जिसमें से 358 एसईजेड अधिसूचित किए गए हैं। उन्होंने यह भी सूचित किया कि विशेष आर्थिक क्षेत्रों में 1,48,489 करोड़ रुपए का निवेश किया गया है और विशेष आर्थिक क्षेत्रों में 5,03,611 व्यक्तियों के लिए प्रत्यक्ष रोजगार का सृजन किया गया है। वित्त वर्ष 2009-2010 के दौरान, एसईजेड से 2,20,711 करोड़ रुपए का निर्यात किया गया है।

मद संख्या 41.1 : विशेष आर्थिक क्षेत्र स्थापित करने के लिए प्रस्ताव

(क) औपचारिक अनुमोदनों के लिए निर्णय :

1. तालुक कुनाथुनाड, जिला एर्नाकुलम, केरल में 12.5840 हेक्टेयर के क्षेत्रफल में आईटी / आईटीईएस के लिए क्षेत्र विशिष्ट विशेष आर्थिक क्षेत्र स्थापित करने के लिए मैसर्स इनफोपार्क्स, केरल का अनुरोध (मद संख्या 41.1 - क्रमांक iii) :

अनुमोदन बोर्ड ने नोट किया कि भूमि पर विकासक का कब्जा है। राज्य सरकार ने भी प्रस्ताव की सिफारिश की है। तद्नुसार, अनुमोदन बोर्ड ने 12.5804 हेक्टेयर के क्षेत्रफल में तालुक कुन्नातुनाड, जिला एर्नाकुलम, केरल में आईटी / आईटीईएस के लिए क्षेत्र विशिष्ट विशेष आर्थिक क्षेत्र स्थापित करने के लिए मैसर्स इनफोपार्क्स, केरल के प्रस्ताव को औपचारिक अनुमोदन प्रदान करने का निर्णय लिया।

(ख) सैद्धांतिक अनुमोदनों के लिए निर्णय :

1. नवी मुंबई, महाराष्ट्र में 100 हेक्टेयर के क्षेत्रफल में इलेक्ट्रानिक हार्डवेयर एवं साफ्टवेयर के लिए क्षेत्र विशिष्ट विशेष आर्थिक क्षेत्र स्थापित करने के लिए मैसर्स वीडियोकॉन इंडस्ट्रीज लिमिटेड का अनुरोध (मद संख्या 41.1 - क्रमांक i) :

राजस्व विभाग ने बताया कि स्पष्ट नहीं है कि आवेदक कौन है। इसके अलावा भूमि पर सिडको का कब्जा है, न कि मैसर्स वीडियोकॉन का। विकास आयुक्त, एसईईपीजेड ने बताया कि मैसर्स वीडियोकॉन इंडस्ट्रीज लिमिटेड विकासक है और मैसर्स सिडको एसपीवी का गठन हो जाने पर उसे भूमि अंतरित करेगा। विचार विमर्श के बाद, अनुमोदन बोर्ड ने 100 हेक्टेयर के क्षेत्रफल में नवी मुंबई, महाराष्ट्र में इलेक्ट्रानिक हार्डवेयर एवं साफ्टवेयर के लिए क्षेत्र विशिष्ट विशेष आर्थिक क्षेत्र स्थापित करने के लिए मैसर्स विडीयोकॉन इंडस्ट्रीज लिमिटेड के प्रस्ताव को सैद्धांतिक अनुमोदन प्रदान करने का निर्णय लिया।

2. डाकघर फतेहपुर, थाना नंदकुमार, हल्दिया पूर्व मेदनीपुर, पश्चिम बंगाल में 111.28 हेक्टेयर के क्षेत्रफल में मेटल के लिए क्षेत्र विशिष्ट विशेष आर्थिक क्षेत्र स्थापित करने के लिए मैसर्स कोस्टल फेरोटेक लिमिटेड का अनुरोध (मद संख्या 41.1 - क्रमांक ii) :

अनुमोदन बोर्ड ने नोट किया कि राज्य सरकार ने प्रस्ताव की सिफारिश नहीं की है और यह भी कि भूमि पर विकासक का कब्जा नहीं है। विचार विमर्श के बाद, अनुमोदन बोर्ड ने 111.28 हेक्टेयर के क्षेत्रफल में डाकघर फतेहपुर, थाना नंदकुमार, हल्दिया पूर्व, मेदनीपुर, पश्चिम बंगाल में लौह एवं अलौह धातुओं के लिए क्षेत्र विशिष्ट विशेष आर्थिक क्षेत्र स्थापित करने के लिए मैसर्स कोस्टल फरोटेक लिमिटेड के प्रस्ताव को सैद्धांतिक अनुमोदन प्रदान करने का निर्णय लिया।

मद संख्या 41.2 : सह विकासकों के लिए अनुरोध

अनुमोदन बोर्ड द्वारा सह विकासक के लिए सभी संस्वीकृत प्रस्ताव इस शर्त के अधीन हैं कि पट्टा करार के विशिष्ट नियमों और शर्तों का लागू आयकर अधिनियम एवं नियमावली के तहत कर निर्धारण के प्रयोजनार्थ लीज रेंटल / डाउन पेंमेंट / प्रीमियम आदि के रूप में आय के संव्यवहार से कोई सरोकार नहीं होगा। कर निर्धारण अधिकारी को आयकर अधिनियम के तहत इन राशियों की कराधेयता की जांच करने का अधिकार होगा। यह नीचे उल्लिखित सह विकासकों के सभी मामलों पर लागू है :

(i) गचिबाउली गांव, सेरींगमपल्ली मंडल, रंगारेड्डी जिला, आंध्र प्रदेश में मैसर्स एलएंडटी फिनिक्स इंफोपार्क्स प्राइवेट लिमिटेड द्वारा आईटी / आईटीईएस के लिए विकसित किए जा रहे क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड में सह विकासक के लिए मैसर्स फिनिक्स टेक्नो सिटी प्राइवेट लिमिटेड का अनुरोध

विचार विमर्श के बाद, अनुमोदन बोर्ड ने पट्टे पर दिए गए 427651 वर्गफीट के क्षेत्रफल में संगत सुविधाओं के साथ आईटी अवसंरचना के विकास के लिए उपर्युक्त एसईजेड में सह विकासक के लिए मैसर्स फिनिक्स टेक्नो सिटी प्राइवेट लिमिटेड के अनुरोध को मंजूरी प्रदान करने का निर्णय लिया।

(ii) ग्राम मुसालगांव एवं गुलवंच, तालुक सिन्नार, जिला नासिक, महाराष्ट्र में मैसर्स इंडियाबुल्स इंडस्ट्रियल इनफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड द्वारा विकसित किए जा रहे बहु उत्पाद एसईजेड में सह विकास के लिए मैसर्स इंडियाबुल्स वाटर सप्लाई एंड वेस्ट मैनेजमेंट सर्विसेज लिमिटेड का अनुरोध

विचार विमर्श के बाद अनुमोदन बोर्ड ने उपर्युक्त एसईजेड में संगत सुविधाओं के साथ जलापूर्ति, निस्सारी शोधन, अपशिष्ट प्रबंधन आदि से संबंधित अवसंरचना सुविधाओं के विकास एवं संबद्ध गतिविधियों के लिए सह विकासक बनने के लिए मैसर्स इंडियाबुल्स वाटर सप्लाई एंड वेस्ट मैनेजमेंट सर्विसेज लिमिटेड के अनुरोध को मंजूरी प्रदान करने का निर्णय लिया।

मद संख्या 41.3 : किफायती दर पर एसईईपीजेड - एसईजेड में बिजली के स्रोतन एवं वितरण के लिए एसईजेड में सह विकासक बनने के लिए सैद्धांतिक अनुमोदन के लिए एसईईपीजेड एक्सपोर्ट्स एनर्जी सेविंग एसोसिएशन (प्रस्तावित) का प्रस्ताव

विचार विमर्श के बाद, अनुमोदन बोर्ड नेकिफायती दर पर एसईईपीजेड - एसईजेड में बिजली के स्रोतन एवं वितरण के लिए एसईजेड में सह विकासक बनने के लिए एसईईपीजेड एक्सपोर्ट्स एनर्जी सेविंग एसोसिएशन (प्रस्तावित) के प्रस्ताव को सैद्धांतिक अनुमोदन प्रदान करने का निर्णय लिया।

मद संख्या 41.4 : औपचारिक अनुमोदनों की पहली बार वैधता अवधि बढ़ाने के लिए अनुरोध

विचार विमर्श के बाद, अनुमोदन बोर्ड ने निम्नलिखित **10 (दस)** विकासकों में से प्रत्येक के मामले में वैधता अवधि की समाप्ति के बाद एक साल की अवधि के लिए औपचारिक अनुमोदन की वैधता अवधि पहली बार बढ़ाने का निर्णय लिया :

(i) जीएमआर हैदराबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट, शमशाबाद, हैदराबाद में अंतरराष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र के साथ बहु सेवा के लिए क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड स्थापित करने के लिए प्रदान किए गए औपचारिक अनुमोदन की वैधता अवधि 24 जून, 2010 के बाद बढ़ाने के लिए मैसर्स जीएमआर हैदराबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड का अनुरोध

(ii) श्रीपेरम्बदूर, चेन्नई, तमिलनाडु में आईटीईएस सहित इलेक्ट्रानिक हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के लिए क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड स्थापित करने के लिए प्रदान किए गए औपचारिक अनुमोदन की वैधता अवधि 22 मई, 2010 के बाद बढ़ाने के लिए मैसर्स वेलांकनि टेक्नोलॉजी पार्क्स प्राइवेट लिमिटेड का अनुरोध

(iii) ग्राम चिंतावरम, चिल्लाकुरू मंडल, नेल्लोर जिला, आंध्र प्रदेश में वस्त्र एवं परिधान के लिए क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड स्थापित करने के लिए प्रदान किए गए औपचारिक अनुमोदन की वैधता अवधि 25 जुलाई, 2010 के बाद बढ़ाने के लिए मैसर्स एमएएस फेब्रिक पार्क्स (इंडिया) प्राइवेट लिमिटेड का अनुरोध

(vii) सनाथल गांव, सनंद तालुक, अहमदाबाद जिला, गुजरात में आईटी / आईटीईएस के लिए क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड स्थापित करने के लिए प्रदान किए गए औपचारिक अनुमोदन की वैधता अवधि 18 जून, 2010 के बाद बढ़ाने के लिए मैसर्स सिटी गोल्ड रियाल्टर्स प्राइवेट लिमिटेड का अनुरोध

(v) सरगासन गांव, तालुक एवं जिला गांधीनगर, गुजरात में आईटी / आईटीईएस के लिए क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड स्थापित करने के लिए प्रदान किए गए औपचारिक अनुमोदन की वैधता अवधि 18 जून, 2010 के बाद बढ़ाने के लिए मैसर्स शिवगंगा रियल एस्टेट होल्डर्स प्राइवेट लिमिटेड का अनुरोध

(vi) टिवरी एवं राजावली गांव, वसई तालुक, जिला थाणे, महाराष्ट्र में आईटी / आईटीईएस के लिए क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड स्थापित करने के लिए प्रदान किए गए औपचारिक अनुमोदन की वैधता अवधि 25 नवंबर, 2010 के बाद बढ़ाने के लिए मैसर्स आएनए बिल्डर्स का अनुरोध

(vii) सोलंकुरिनी गांव, मदुरै तालुक, मदुरै जिला, तमिलनाडु में आईटी / आईटीईएस सहित इलेक्ट्रानिक हार्डवेयर के लिए क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड स्थापित करने के लिए प्रदान किए गए औपचारिक अनुमोदन

की वैधता अवधि 25 जुलाई, 2010 के बाद बढ़ाने के लिए मैसर्स रूद्रदेव टाउनशिप प्राइवेट लिमिटेड का अनुरोध

(viii) बिनोला गांव, गुड़गांव, हरियाणा में आईटी / आईटीईएस के लिए क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड स्थापित करने के लिए प्रदान किए गए औपचारिक अनुमोदन की वैधता अवधि 12 दिसंबर, 2010 के बाद बढ़ाने के लिए मैसर्स स्टारेक्स एसईजेड डवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड का अनुरोध

(ix) तालुक पनवेल, जिला रायगड़, महाराष्ट्र में बहु सेवा के लिए क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड स्थापित करने के लिए प्रदान किए गए औपचारिक अनुमोदन की वैधता अवधि 14 अक्टूबर, 2010 के बाद बढ़ाने के लिए मैसर्स सन्नी विस्टा रियाल्टर्स प्राइवेट लिमिटेड का अनुरोध

(x) कुन्नातुनडाउ गांव, तालुक मोरकाला देशम, जिला एर्नाकुलम, केरल में आईटी / आईटीईएस के लिए क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड स्थापित करने के लिए प्रदान किए गए औपचारिक अनुमोदन की वैधता अवधि 22 अगस्त, 2009 के बाद बढ़ाने के लिए मैसर्स यूनिटेक कोच्चि एसईजेड लिमिटेड का अनुरोध

मद संख्या 41.5 : औपचारिक अनुमोदनों की दूसरी बार वैधता अवधि बढ़ाने के लिए अनुरोध

विचार विमर्श के बाद, अनुमोदन बोर्ड ने निम्नलिखित **12** मामलों में से प्रत्येक के संबंध में वैधता अवधि की समाप्ति के बाद एक साल की अवधि के लिए औपचारिक अनुमोदन की वैधता अवधि दूसरी बार बढ़ाने का निर्णय लिया :

अनुमोदन बोर्ड ने यह भी नोट किया कि गोवा में एसईजेड के संबंध में वैधता अवधि बढ़ाने के लिए मंजूरी प्रदान की जा रही है परंतु सभी एसईजेड मुंबई उच्च न्यायालय में लंबित मामलों में फैसले के अधीन हैं।

(i) वेरना औद्योगिक क्षेत्र, गोवा में बहु सेवा के लिए क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड स्थापित करने के लिए प्रदान किए गए औपचारिक अनुमोदन की वैधता अवधि 24 अक्टूबर, 2010 के बाद दूसरी बार बढ़ाने के लिए मैसर्स के रहेजा कॉर्पोरेशन प्राइवेट लिमिटेड का अनुरोध

(ii) वेरना औद्योगिक क्षेत्र, गोवा में आईटी / आईटीईएस के लिए क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड स्थापित करने के लिए प्रदान किए गए औपचारिक अनुमोदन की वैधता अवधि 24 अक्टूबर, 2010 के बाद दूसरी बार बढ़ाने के लिए मैसर्स पैराडिगम लॉजिस्टिक्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन प्राइवेट लिमिटेड का अनुरोध

(iii) भूट खांम्ब, केरिम, पोंडा, गोवा में फार्मास्युटिकल्स के लिए क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड स्थापित करने के लिए प्रदान किए गए औपचारिक अनुमोदन की वैधता अवधि 22 अगस्त, 2010 के बाद दूसरी बार बढ़ाने के लिए मैसर्स मेडिटैब स्पेसियलिटीज प्राइवेट लिमिटेड का अनुरोध

(iv) मोहाली, पंजाब में आईटी / आईटीईएस के लिए क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड स्थापित करने के लिए प्रदान किए गए औपचारिक अनुमोदन की वैधता अवधि 8 जून, 2010 के बाद दूसरी बार बढ़ाने के लिए मैसर्स क्वार्कसिटी इंडिया प्राइवेट लिमिटेड का अनुरोध

(v) गांधीनगर, गुजरात में आईटी / आईटीईएस के लिए क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड स्थापित करने के लिए प्रदान किए गए औपचारिक अनुमोदन की वैधता अवधि 12 जुलाई, 2010 के बाद दूसरी बार बढ़ाने के लिए गुजरात औद्योगिक विकास निगम का अनुरोध

(vi) भड़ूच, गुजरात में रसायन के लिए क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड स्थापित करने के लिए प्रदान किए गए औपचारिक अनुमोदन की वैधता अवधि 20 अगस्त, 2010 के बाद दूसरी बार बढ़ाने के लिए मैसर्स जुबिलैंट इनफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड का अनुरोध

(vii) भौंड़सी, तहसील सोहना, जिला गुड़गांव, हरियाणा में आईटी / आईटीईएस के लिए क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड स्थापित करने के लिए प्रदान किए गए औपचारिक अनुमोदन की वैधता अवधि 24 अगस्त, 2010 के बाद दूसरी बार बढ़ाने के लिए मैसर्स जीएचआई फिनलीज एंड इनवेस्टमेंट लिमिटेड का अनुरोध

(viii) गुड़गांव, हरियाणा में आईटी / आईटीईएस के लिए क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड स्थापित करने के लिए प्रदान किए गए औपचारिक अनुमोदन की वैधता अवधि 25 जून, 2010 के बाद दूसरी बार बढ़ाने के लिए मैसर्स डा. फ्रेश हेल्थ केयर प्राइवेट लिमिटेड का अनुरोध

(ix) जुईनगर, जिला थाणे, महाराष्ट्र में आईटी / आईटीईएस के लिए क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड स्थापित करने के लिए प्रदान किए गए औपचारिक अनुमोदन की वैधता अवधि 20 अगस्त, 2010 के बाद दूसरी बार बढ़ाने के लिए मैसर्स न्यूफाउंड प्रापर्टीज एंड लीजिंग प्राइवेट लिमिटेड का अनुरोध

(x) रविरियाल गांव, रंगारेड्डी जिला, आंध्र प्रदेश में आईटी / आईटीईएस के लिए क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड स्थापित करने के लिए प्रदान किए गए औपचारिक अनुमोदन की वैधता अवधि 25 अक्टूबर, 2010 के बाद दूसरी बार बढ़ाने के लिए मैसर्स स्टारगेज प्रापर्टीज प्राइवेट लिमिटेड का अनुरोध

(xi) माहेश्वरम मंडल, रंगारेड्डी जिला, आंध्र प्रदेश में आईटी / आईटीईएस के लिए क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड स्थापित करने के लिए प्रदान किए गए औपचारिक अनुमोदन की वैधता अवधि 25 अक्टूबर, 2010 के बाद दूसरी बार बढ़ाने के लिए मैसर्स जेटी होल्डिंग्स प्राइवेट लिमिटेड का अनुरोध

(xii) मामिडीपल्ली गांव, सरूरनगर मंडल, रंगारेड्डी जिला, आंध्र प्रदेश में आईटी / आईटीईएस के लिए क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड स्थापित करने के लिए प्रदान किए गए औपचारिक अनुमोदन की वैधता अवधि 24 अक्टूबर, 2010 के बाद दूसरी बार बढ़ाने के लिए मैसर्स ब्राह्मणी इंफ्राटेक प्राइवेट लिमिटेड का अनुरोध

मद संख्या 41.6 : औपचारिक अनुमोदनों की वैधता अवधि बढ़ाने के लिए विलंब से किए गए अनुरोध

विचार विमर्श के बाद अनुमोदन बोर्ड ने औपचारिक अनुमोदन की वैधता अवधि बढ़ाने के लिए अनुरोध करने में विलंब को माफ किया तथा निम्नलिखित दो मामलों में से प्रत्येक के संबंध में

एलओए की वैधता अवधि 17 अप्रैल 2011 तक बढ़ाते हुए औपचारिक अनुमोदन का पहला और दूसरा विस्तार एक साथ प्रदान करने का निर्णय लिया :

(i) वल्लारपदम, कोचीन में पोर्ट के लिए क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड स्थापित करने के लिए प्रदान किए गए औपचारिक अनुमोदन की वैधता अवधि 17 अप्रैल, 2009 के बाद दूसरी बार बढ़ाने के लिए मैसर्स कोचीन पोर्ट ट्रस्ट का अनुरोध

(ii) पुथुवयुपीन, कोचीन में पोर्ट के लिए क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड स्थापित करने के लिए प्रदान किए गए औपचारिक अनुमोदन की वैधता अवधि 17 अप्रैल, 2009 के बाद दूसरी बार बढ़ाने के लिए मैसर्स कोचीन पोर्ट ट्रस्ट का अनुरोध

मद संख्या 41.7 : सैद्धांतिक अनुमोदन की तीसरी बार अवधि बढ़ाना

अनुमोदन बोर्ड ने नोट किया कि पहले अनुमोदन बोर्ड एसईजेड नियमावली 2006 के नियम 6 (2) (ख) के प्रावधानों के अनुसार सैद्धांतिक अनुमोदन की वैधता अवधि अधिक से अधिक दो साल के लिए बढ़ा सकता है और यह कि 14 जून 2010 को एसईजेड नियमावली में अधिसूचित संशोधन ने यह सीमा हटा दी है। इसलिए विचार विमर्श के बाद, अनुमोदन बोर्ड ने निम्नलिखित प्रस्तावों के संबंध में पिछली बार बढ़ाई गई अवधि की समाप्ति की तिथि से तीसरी बार वैधता अवधि बढ़ाई :

(i) सौरार तहसील, छिंदवाड़ा जिला, मध्य प्रदेश में बहु उत्पाद एसईजेड स्थापित करने के लिए मैसर्स छिंदवाड़ा प्लस डवलपर्स लिमिटेड (30 जुलाई, 2010 के बाद)

(ii) खड़गपुर, पश्चिम बंगाल में आटो कंपोनेंट के लिए क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड स्थापित करने के लिए मैसर्स बंगाल एसआरईआई इनफ्रास्ट्रक्चर डवलपमेंट लिमिटेड (21 जून 2010 के बाद)

मद संख्या 41.8 : विमुक्त करने के लिए अनुरोध

(i) हजीरा, गुजरात में इंजीनियरिंग के लिए अधिसूचित क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड को विमुक्त करने के लिए मैसर्स एस्सार एसईजेड हजीरा लिमिटेड का अनुरोध

विचार विमर्श के बाद, अनुमोदन बोर्ड ने हजीरा, गुजरात में इंजीनियरिंग के लिए अधिसूचित क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड को विमुक्त करने के लिए मैसर्स एस्सार एसईजेड हजीरा लिमिटेड के अनुरोध को विकास आयुक्त के इस आशय के प्रमाण पत्र के अधीन मंजूरी प्रदान करने का निर्णय लिया कि मौजूदा यूनिटों ने सेवा कर छूट सहित सभी कर / ड्यूटी लाभ वापस कर दिए हैं जो एसईजेड अधिनियम / नियमावली के अंतर्गत प्राप्त किए गए हो सकते हैं। एसईजेड की विमुक्तीकरण के लिए औपचारिक अधिसूचना विकास आयुक्त से प्रमाण पत्र की प्राप्ति के बाद जारी की जाएगी।

मद संख्या 41.9 : क्षेत्रफल में वृद्धि / कटौती के लिए अनुरोध

(i) बाचुपल्ली गांव, कुतबुल्लापुर मंडल, रंगारेड्डी जिला, आंध्र प्रदेश में आईटी / आईटीईएस के लिए अधिसूचित क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड में भूमि के एक अंश को विमुक्त करने के लिए मैसर्स मेटास हिल काउंटी एसईजेड प्राइवेट लिमिटेड का अनुरोध

विचार विमर्श के बाद, अनुमोदन बोर्ड ने उपर्युक्त एसईजेड से 29.87 हेक्टेयर भूमि के विमुक्तीकरण, जिससे एसईजेड का कुल क्षेत्रफल 21.23 हेक्टेयर रह जाएगा, के लिए मैसर्स मेटास हिल काउंटी एसईजेड प्राइवेट लिमिटेड के अनुरोध को एसईजेड की सन्निकटता बनाए रखने तथा विकास आयुक्त से इस आशय के प्रमाण पत्र के अधीन मंजूरी प्रदान करने का निर्णय लिया कि विकासक ने विमुक्त की जाने वाली भूमि के संबंध में सेवा कर छूट सहित सभी कर / ड्यूटी लाभ वापस कर दिए हैं जो एसईजेड अधिनियम / नियमावली के अंतर्गत प्राप्त किए गए हो सकते हैं।

(ii) मैसर्स प्राइमल प्रोजेक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड द्वारा बेल्लांडुर गांव, वरतुर होब्ली, बंगलौर पूर्व तालुक, बंगलौर शहरी जिला, कर्नाटक में आईटी / आईटीईएस एसईजेड में उनके प्रचालन के क्षेत्रफल में वृद्धि के लिए मैसर्स आरजीए सॉफ्टवेयर सिस्टम्स प्राइवेट लिमिटेड का अनुरोध

विचार विमर्श के बाद अनुमोदन बोर्ड ने प्रचालन के क्षेत्रफल में 6.17 हेक्टेयर की वृद्धि जिससे उनके प्रचालन का कुल क्षेत्रफल 6.503 हेक्टेयर से बढ़कर 12.673 हेक्टेयर हो जाएगा, के लिए मैसर्स आरजीए साफ्टवेयर सिस्टम प्राइवेट लिमिटेड जो बेल्लांडुर गांव, वरतुर होब्ली, बंगलौर पूर्व तालुक, बंगलौर शहरी जिला, कर्नाटक में मैसर्स प्राइमल प्रोजेक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड द्वारा आईटी / आईटीईएस के लिए विकसित किए जा रहे एसईजेड में सह विकासक है, के अनुरोध को मंजूरी प्रदान करने का निर्णय लिया।

मद संख्या 41.10 : कट्टूपल्ली गांव, तिरुवल्लूर जिला, तमिलनाडु में भारी इंजीनियरिंग के लिए क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड में क्षेत्रफल में वृद्धि के लिए मैसर्स एलएंडटी शिपबिल्डिंग लिमिटेड का अनुरोध

अनुमोदन बोर्ड ने नोट किया कि वर्तमान प्रस्ताव अनुमोदन बोर्ड के इस निर्देश के कारण आया है कि पोर्ट का प्रस्ताव अलग से प्रस्तुत किया जाना चाहिए। पहले विकासक को शिपयार्ड के लिए मंजूरी प्रदान की जा चुकी है। राजस्व विभाग के प्रतिनिधि ने कहा कि यद्यपि पोर्ट के निर्माण के लिए प्रस्तावों का समर्थन करने को लेकर उनको कोई आपत्ति नहीं है परंतु समुद्र में क्षेत्रफल को अधिसूचित करने के संबंध में समस्या है। समुचित विचार विमर्श के बाद अनुमोदन बोर्ड ने निम्नलिखित के लिए मंजूरी प्रदान की :

क्र. सं.	क्षेत्र का विवरण	पत्तन के लिए क्षेत्र (हेक्टेयर में)
1.	लघु पत्तन के लिए राजस्व भूमि	124.13
2.	तटीय भूमि	6.07
3.	जेट्टी के लिए क्षेत्रफल	46.17
	कुल	176.37

जहां तक जल क्षेत्र निर्धारित करने का संबंध है, विकास आयुक्त एमईपीजेड क्षेत्र का सर्वेक्षण करेंगे और एसईजेड के अंग के रूप में ब्रेक वाटर बाडी को शामिल करने की आवश्यकता का उल्लेख करते हुए स्पष्ट रिपोर्ट प्रदान करेंगे। विकास आयुक्त से रिपोर्ट की प्राप्ति के बाद अनुमोदन जारी किया जाएगा।

मद संख्या 41.11 : शोलिंगनल्लूर, टंबारम तालुक, कांचीपुरम जिला, तमिलनाडु में आईटी / आईटीईएस के लिए अधिसूचित क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड को विमुक्त करने के लिए उनके अनुरोध को वापस लेने के लिए मैसर्स एनएसएल एसईजेड (चेन्नई) प्राइवेट लिमिटेड का अनुरोध

अनुमोदन बोर्ड ने नोट किया कि इस मामले में 9 अप्रैल 2010 को आयोजित बैठक में अनुमोदन बोर्ड द्वारा निर्णय लिया जा चुका है जिसमें यह नोट किया गया था कि चूंकि क्षेत्र के स्वामित्व का निस्तारण किया जाना था और यह राज्य सरकार के अधिकार क्षेत्र में आता है इसलिए राज्य सरकार से स्पष्ट सिफारिश प्राप्त की जाए और अनुमोदन बोर्ड के विचारार्थ प्रस्तुत की जाए। इस बीच विकासक को अंतिम निर्णय लिए जाने तक भूमि पर कोई कार्य नहीं करना चाहिए। तद्नुसार, राज्य सरकार से स्पष्ट सिफारिश प्राप्त होने तक यह निर्णय मान्य रहेगा। तथापि, विकासक के अनुरोध के अनुसार, इस एसईजेड के विमुक्तीकरण के लिए अनुमोदन बोर्ड द्वारा 8 जून 2010 को आयोजित बैठक में लिए गए निर्णय को वापस लिया गया समझा जाता है।

मद संख्या 41.12 : अधिकृत प्रचालनों के लिए अनुरोध

अनुमोदन बोर्ड ने अधिकृत प्रचालनों के प्रस्तावों पर विचार किया तथा अनुमोदन प्रदान करते समय ये 24 अक्टूबर 2008 को आयोजित ईजीओएम बैठक द्वारा अनुमोदित विकास दिशानिर्देश के अधीन थे जिन्हें 8 दिसंबर 2008 को आयोजित बैठक में अनुमोदन बोर्ड के सदस्यों तथा राज्य सरकार के प्रतिनिधियों द्वारा नोट किया गया। तद्नुसार, विकास आयुक्त यह सुनिश्चित करेंगे कि अधिकृत प्रचालन दिशानिर्देशों के अनुरूप हैं।

(i) गचिबाउली गांव, सेरींगमपल्ली मंडल, रंगारेड्डी जिला, आंध्र प्रदेश में आईटी / आईटीईएस के लिए क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड में अधिकृत प्रचालनों के लिए मैसर्स एलएंडटी फिनिक्स इनफोपार्क प्राइवेट लिमिटेड का अनुरोध

अनुमोदन बोर्ड ने प्रस्ताव पर विचार किया तथा विचार विमर्श के बाद अनुमोदन बोर्ड ने नीचे दी गई सारणी में उल्लेख के अनुसार गैर प्रसंस्करण क्षेत्र में अधिकृत प्रचालनों को मंजूरी प्रदान करने का निर्णय लिया : अनुमोदन बोर्ड ने 18432 वर्गमीटर के क्षेत्रफल में आवासीय अपार्टमेंट के निर्माण के लिए पहले प्रदान किए गए अनुमोदन को वापस लेने के लिए विकासक के अनुरोध को भी मंजूरी प्रदान की। तथापि, अनुमोदन बोर्ड क्रमश: 10000 वर्गमीटर और 40000 वर्गमीटर के क्षेत्रफल में होटल और आईटी स्पेस के निर्माण के लिए विकासक के अनुरोध से सहमत नहीं हुआ।

अधिकृत प्रचालन	अनुरोध की गई मात्रा (वर्गमीटर में)	अनुमोदित मात्रा (वर्गमीटर में)

सर्विस अपार्टमेंट	4500	4500
सुविधाएं - 20 बिस्तर वाले अस्पताल के साथ चिकित्सा सुविधा, क्लब हाउस, बैंकों, आईटी / साफ्टवेयर प्रशिक्षण केन्द्र, कंप्यूटर हार्डवेयर शोरूम तथा सहायता सेवा कार्यालयों के लिए स्थान	7500	7500

(ii) अत्चुतपुरम मंडल, विशाखापट्टनम जिला, आंध्र प्रदेश में मैसर्स ब्रांडिक्स इंडिया अपैरल सिटी प्राइवेट लिमिटेड द्वारा टेक्सटाइल के लिए विकसित किए जा रहे क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड में सह विकासक के रूप में अधिकृत प्रचालनों के लिए मैसर्स अधिष्ठान इनवेस्टमेंट इंडिया प्राइवेट लिमिटेड का अनुरोध

अनुमोदन बोर्ड ने प्रस्ताव पर विचार किया तथा विचार विमर्श के बाद अनुमोदन बोर्ड ने सारणी में उल्लिखित के अनुसार गैर प्रसंस्करण क्षेत्र में अधिकृत प्रचालनों को मंजूरी प्रदान करने का निर्णय लिया :

अधिकृत प्रचालन	अनुरोध की गई मात्रा (वर्गमीटर में)	अनुमोदित मात्रा (वर्गमीटर में)
आवासीय - आवास हॉस्टल / सर्विस अपार्टमेंट	33240	33240
सुविधाएं - स्कूल / तकनीकी संस्थाएं / शैक्षणिक संस्थान	8,000	8,000
कार्यालय स्थान / शॉपिंग क्षेत्र / रिटेल स्पेस / मल्टीप्लेक्स	34480	34480
बजट होटल के 25 कमरे	1500	1500
व्यवसाय / सम्मेलन केन्द्र	600 100 व्यक्तियों के लिए	600 100 व्यक्तियों के लिए
ग्रीन बेल्ट के साथ गोल्फ कोर्स	3,23,748 (80 एकड़)	3,23,748 (80 एकड़)
रेल हेड	-	-

(iii) मैसर्स एनएसएल एससईजेड (हैदराबाद) प्राइवेट लिमिटेड द्वारा आईडीए उप्पल औद्योगिक विकास क्षेत्र, हैदराबाद, आंध्र प्रदेश में विकसित आईटी / आईटीईएस एसईजेड में सह विकासक के रूप में अधिकृत प्रचालनों के लिए मैसर्स टॉपनोच प्रोजेक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड का अनुरोध

अनुमोदन बोर्ड ने प्रस्ताव पर विचार किया तथा विचार विमर्श के बाद अनुमोदन बोर्ड ने सारणी में उल्लिखित के अनुसार गैर प्रसंस्करण क्षेत्र में अधिकृत प्रचालनों को मंजूरी प्रदान करने का निर्णय लिया :

अधिकृत प्रचालन	पहले अनुमोदित की गई मात्रा (वर्गमीटर में)	अनुरोध की गई अतिरिक्त मात्रा (वर्गमीटर में)	कुल अनुमोदित मात्रा (वर्गमीटर में)
रिटेल	10000	15000	25000
मनोरंजन क्षेत्र			
क्लब, जिम आदि			

(iv) सेक्टर 106, पावला खुसरूपुर ग्राव, गुड़गांव, हरियाणा में आईटी / आईटीईएस के लिए विकसित क्षेत्र विशिष्ट में अधिकृत प्रचालनों के लिए अनुमोदन की मात्रा में वृद्धि के लिए मैसर्स एयरमिड डवलपर्स लिमिटेड का अनुरोध

विकास आयुक्त, एनएसईजेड ने बताया कि विकासक ने हरियाणा में लागू एफएआर के आधार पर अधिकृत प्रचालनों की मात्रा बढ़ाने का अनुरोध किया है। तथापि, अनुमोदन बोर्ड ने कहा कि इस बात को ध्यान में रखते हुए कि गुड़गांव एनसीआर में आता है, अनुरोध की गई मात्रा बहुत अधिक है। तदनुसार, अनुमोदन बोर्ड ने प्रस्ताव को आस्थगित कर दिया तथा विकास आयुक्त को निदेश दिया कि वे फिर से मात्रा तैयार करें और जरूरत पड़ने पर अनुमोदन बोर्ड के विचारार्थ उसे प्रस्तुत करें।

(v) एसईजेड में सह विकासक मैसर्स रीटोक्स बिल्डर्स एंड डवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड के पक्ष में अधिकृत प्रचालनों के संबंध में अनुमोदन के अंतरण के लिए नागपुर, महाराष्ट्र बहु उत्पाद एसईजेड के विकासक मैसर्स महाराष्ट्र एयरपोर्ट डवलपमेंट कंपनी लिमिटेड (एमएडीसी) का अनुरोध

राजस्व विभाग के प्रतिनिधि ने बताया कि अपने सह विकासकों के साथ एमएडीसी के करार में यह शर्त पाई गई है कि ऐसे सह विकासकों द्वारा निर्मित फ्लैटों को वे आम जनता को बेचेंगे तथा एमएडीसी ऐसी बिक्री के लिए ऐसे सह विकासकों को पावर आफ अटार्नी जारी किया है। राजस्व विभाग ने यह भी बताया कि वर्तमान मामले में विकासक संपत्ति की बिक्री की शर्त में संशोधन के बगैर सह विकासक को अधिकृत प्रचालनों का अंतरण करने के लिए अनुरोध किया है। यह भी उल्लेखनीय है कि राजस्व विभाग प्रस्ताव से तब तक सहमत नहीं है जब तक कि विकासक एवं सह विकासक के बीच करार से बिक्री की शर्त तथा एमएडीसी द्वारा प्रदान की गई पावर आफ अटार्नी हटाई नहीं जाती है। विचार विमर्श के बाद अनुमोदन बोर्ड ने गैर प्रसंस्करण क्षेत्र में सारणी में उल्लेख के अनुसार सह विकासक के पक्ष में विकासक को पहले मंजूर किए गए निम्नलिखित अधिकृत प्रचालनों के अंतरण के लिए इस शर्त के अधीन मंजूरी प्रदान करने का निर्णय लिया कि विकासक एवं सह विकासक के बीच करार से बिक्री की शर्त तथा एमएडीसी द्वारा प्रदान की गई पावर ऑफ अटार्नी हटाई गई है :

क्र. सं.	अधिकृत प्रचालन (वर्गमीटर में)	मात्रा (वर्गमीटर में)
1.	विकासक द्वारा उपलब्ध कराई गई योजना	275000 वर्गमीटर के निर्मित क्षेत्र के साथ

	के अनुसार हाउसिंग चरण 1	2082 फ्लैटों की कुल संख्या के साथ
2.	(i) कम आय वर्ग के लिए मकान (ii) सुविधाजनक शॉपिंग यूनिटें	(i) 11312 वर्गमीटर के कुल क्षेत्रफल के साथ 180 मकान (ii) 12255 वर्गमीटर के कुल क्षेत्रफल के साथ 72 मकान
3.	आवास फेज 1 में क्लब हाउस	2035 वर्गमीटर

मद संख्या 41.13 : डीटीए बिक्री तथा मदों की ब्राड बैंडिंग / विस्तार को अनुमत करने के लिए एनएसईजेड में यूनिट मैसर्स इलेक्ट्रो आप्टिक सिस्टम्स डिवीजन का प्रस्ताव

विकास आयुक्त, एनएसईजेड ने कहा कि यूनिट पैसिव डे / नाइट विजन डिवाइस, थर्मल इमेलिंग डिवाइस, फायर कंट्रोल सिस्टम आदि सहित अनेक प्रकार के इलेक्ट्रानिक उपकरण डिजाइन करेगी, विकसित करेगी और निर्माण करेगी, जिनकी सुरक्षा एजेंसियों को आवश्यकता है। घरेलू सुरक्षा एजेंसियों को इन उपकरणों की आपूर्ति करने की आवश्यकता है और इसलिए एलओए से डीटीए बिक्री अनुमत न करने की शर्त हटाई जा सकती है। यूनिट घरेलू सुरक्षा एजेंसियों को बिक्री करने के बदले में हार्ड करेंसी में भुगतान प्राप्त करेगी। अनुमोदन बोर्ड ने उपकरण की ब्राड बैंडिंग के लिए मंजूरी प्रदान की तथा निम्नलिखित शर्तों के अधीन घरेलू बिक्री को अनुमत न करने से संबंधित शर्त में भी छूट प्रदान की :

(i) डीटीए को आपूर्ति के प्रत्येक कंसाइनमेंट की एसईजेड द्वारा बारीकी से जांच की जानी चाहिए;

(ii) घरेलू क्षेत्र में बिक्री करते समय केवल सरकारी एजेंसियों को उपकरण के प्रापण की अनुमति होगी;

(iii) सभी कंसाइनमेंट के साथ सरकारी प्रापण एजेंसी के किसी अधिकृत व्यक्ति को भेजा जाएगा।

मद संख्या 41.14 : एक एसईजेड से यूनिटों को दूसरे एसईजेड में अंतरित करने के लिए अनुरोध

(i) श्रीराम प्रापर्टीज एंड इनफ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड, चेन्नई में यूनिट के ट्रांसफर के लिए मैसर्स टेक महिंद्रा लिमिटेड जो महिंद्रा वर्ल्ड सिटी एसईजेड, चेन्नई की एक यूनिट है, का अनुरोध

राजस्व विभाग के प्रतिनिधि ने बताया कि यदि यह क्रियाशील यूनिट है तो उनको आयकर छूट प्रदान की जा सकती है क्योंकि राजस्व विभाग शिफ्टिंग को इस रूप में मान सकता है कि सेकंड हैंड उपकरण के साथ नई यूनिट स्थापित की जा रही है। यद्यपि राजस्व विभाग के प्रतिनिधि को यह बताया गया कि एक एसईजेड से दूसरे एसईजेड में यूनिट की शिफ्टिंग का मुद्दा डीटीए से एसईजेड में यूनिट की शिफ्टिंग के समान नहीं है, यह भी निर्णय लिया गया कि विकास आयुक्त, एमईपीजेड यूनिट के साथ मुद्दे पर और चर्चा करेंगे और जब यूनिट स्पष्ट रूप से इंगित करेगी कि वे सभी

परिणामों को समझने के बाद शिफ्टिंग के लिए तैयार हैं तो अनुमोदन बोर्ड के पास प्रस्ताव को वापस लाया जा सकता है। तब तक प्रस्ताव को आस्थगित समझा जाए।

मद संख्या 41.15 : अतिरिक्त फाटकों के लिए अनुरोध

(i) भुवनेश्वर, उड़ीसा में आईटी के लिए क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड में एक अतिरिक्त फाटक के अनुमोदन के लिए मैसर्स उड़ीसा इंडस्ट्रियल इनफ्रास्ट्रक्चर डवलपमेंट कॉर्पोरेशन का अनुरोध

विकास आयुक्त, फाल्टा ने बताया कि एसईजेड का निरीक्षण किया गया तथा रिपोर्ट प्रस्तुत की जा चुकी है। मुख्य रूप से एसईजेड में दो भिन्न जोन हैं, एक में टीसीएस, माइंडट्री हैं और दूसरे ब्लाक को अभी तक आवंटित नहीं किया गया है तथा दूसरे जोन में विप्रो एसईजेड, विकास आयुक्त कार्यालय, एसटीजी चिप, जेनपैक्ट इनफ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड तथा परफेक्टस टेक्नोलॉजी सोल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड हैं। गोल्फ क्लब जो गैर प्रसंस्करण क्षेत्र में है, वास्तव में एसईजेड को दो भिन्न जोन में विभाजित करता है। विकास आयुक्त, फाल्टा ने दो अतिरिक्त फाटकों की स्थापना की भी सिफारिश की।

राजस्व विभाग के प्रतिनिधि ने कहा कि दो एसईजेड का निर्माण करना आसान हो सकता है क्योंकि व्यक्तिगत रूप से दोनों जोन क्षेत्रफल संबंधित न्यूनतम आवश्यकता को पूरा करते हैं। इसके अलावा, एसईजेड के अंदर गोल्फ क्लब की मौजूदगी के मुद्दे की जांच करने की आवश्यकता है। विचार विमर्श के बाद इस बात को ध्यान में रखते हुए कि वर्तमान रूप में एसईजेड को अनुमोदित किया जा चुका है, अनुमोदन बोर्ड ने अतिरिक्त फाटक के निर्माण के लिए 1.66 हेक्टेयर भूमि की वृद्धि के साथ एक अतिरिक्त फाटक लगाने के लिए मंजूरी प्रदान की।

मद संख्या 41.16 : अनुमोदन बोर्ड के समक्ष अपील

(i) अधिकृत प्रचालनों के लिए कुछ इनपुट सेवाओं के अनुमोदन के लिए यूनिट के अनुरोध को अस्वीकार करने वाले विकास आयुक्त, एमपीईजेड एसईजेड के आदेश के विरुद्ध मैसर्स हैंसेन ड्राइव्स लिमिटेड की अपील

अनुमोदन बोर्ड द्वारा नोट किया गया कि यूनिट द्वारा प्रस्तुत सूची में ऐसी मदें हैं जिन पर यूनिट अनुमोदन समिति द्वारा विचार किया जाना चाहिए। तद्नुसार, विचार करने के लिए प्रस्ताव को वापस यूनिट अनुमोदन समित के पास भेज दिया गया।

(ii) केवल एसईजेड के कर्मचारियों द्वारा आवासीय अपार्टमेंट के प्रयोग की शर्त में छूट के लिए विकासक के अनुरोध को अस्वीकार करने वाले अनुमोदन बोर्ड के निर्णय के विरुद्ध मैसर्स एनएसएल एसईजेड (हैदराबाद) प्राइवेट लिमिटेड की अपील

अनुमोदन बोर्ड को सूचित किया गया कि पिछले कई मामलों में, केवल एसईजेड के कर्मचारियों द्वारा इन अपार्टमेंट के प्रयोग की शर्त पर बल दिए बिना आवासीय अपार्टमेंट के निर्माण के लिए मंजूरी

प्रदान की गई है। तथापि इस स्थिति को ध्यान में रखते हुए अनुमोदन बोर्ड का यह अभिमत था कि 1250 यूनिटों की अनुमोदित मात्रा बहुत अधिक है और निदेश दिया कि विकास आयुक्त संख्या की समीक्षा करें और अनुमोदन बोर्ड द्वारा विचार के लिए अनुमोदन बोर्ड के समक्ष फिर से प्रस्तुत करें।

(iii) एलओपी की वैधता अवधि बढ़ाने के अनुरोध को निरस्त करने के संबंध में विकास आयुक्त, सूरत एसईजेड के आदेश के विरुद्ध मैसर्स मैकलॉयड पॉलीमर्स प्राइवेट लिमिटेड की अपील

अनुमोदन बोर्ड ने नोट किया कि प्लास्टिक रिप्रोसेसिंग यूनिटों के लिए दिशानिर्देश विचाराधीन हैं तथा इसको अंतिम रूप दिए जाने के बावजूद इस मामले पर विचार किया जा सकता है। तब तक अपील को आस्थगित समझा जाए।

अतिरिक्त एजेंडा पर निर्णय

मद संख्या 41.1 : विशेष आर्थिक क्षेत्र में सन्निकटता स्थापित करने पर दिशानिर्देश

मद संख्या 41.2 : एसईजेड में प्लास्टिक की रिसाइकलिंग के लिए यूनिट स्थापित करने की नीति

अनुमोदन बोर्ड ने राजस्व विभाग के प्रतिनिधि के अनुरोध पर इन दोनों प्रस्तावों को आस्थगित कर दिया।

मद संख्या 41.3 : सह विकासक के लिए अनुरोध

(i) ग्राम मामिडिपल्ली, हैदराबाद, आंध्र प्रदेश में मैसर्स जीएमआर हैदराबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड द्वारा विमानन क्षेत्र के लिए विकसित किए जा रहे क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड में सह विकासक के लिए मैसर्स एमएएस जीएमआर एयरोस्पेस इंजीनियरिंग कंपनी लिमिटेड का अनुरोध

राजस्व विभाग के प्रतिनिधि द्वारा बताया गया कि सह विकासक हैंगर स्थापित करना चाहता है तथा एयरक्राफ्ट जो यूनिटों को पट्टा पर दिए जाएंगे, की मरम्मत / अनुरक्षण / ओवरहालिंग के लिए सभी उपकरण भी स्थापित करना चाहता है। उनके अनुसार यह विनिर्माण गतिविधि की तुलना में यूनिट की प्रकृति का है और तदनुसार सह विकासक के रूप में आवेदक को मंजूरी प्रदान की जा सकती है। विचार विमर्श के बाद, अनुमोदन बोर्ड ने विकास आयुक्त को निदेश दिया वे विकासक के साथ चर्चा के बाद अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करें तथा रिपोर्ट में व्यवसाय माडल की प्रकृति भी शामिल होनी चाहिए। तदनुसार, अनुमोदन बोर्ड ने प्रस्ताव को आस्थगित कर दिया।

दूसरे अतिरिक्त एजेंडा पर निर्णय

मद संख्या 41.1 : क्षेत्रफल में वृद्धि के लिए अनुरोध

(i) गुड़गांव, हरियाणा में आईटी / आईटीईएस के लिए अधिसूचित क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड में भूमि के कुछ अंश को विमुक्त करने के लिए मैसर्स लक्सर साइबर सिटी प्राइवेट लिमिटेड का अनुरोध

विचार विमर्श के बाद, अनुमोदन बोर्ड ने उपर्युक्त एसईजेड से 7.904188588 हेक्टेयर भूमि के विमुक्तीकरण जिससे एसईजेड का कुल क्षेत्रफल 27.07845 हेक्टेयर रह जाएगा, के लिए मैसर्स लक्सर साइबर सिटी प्राइवेट लिमिटेडड के अनुरोध को एसईजेड की सन्निकटता बनाए रखने तथा विकास आयुक्त से इस आशय के प्रमाण पत्र के अधीन मंजूरी प्रदान करने का निर्णय लिया कि विकासक ने विमुक्त की जाने वाली भूमि के संबंध में सेवा कर छूट सहित सभी कर / ड्यूटी लाभ वापस कर दिए हैं जो एसईजेड अधिनियम / नियमावली के अंतर्गत प्राप्त किए गए हो सकते हैं।

****